

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या—
(प्राप्ति की तारीख के राथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)
भाग—2
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

| | | |
|--------|---|--|
| 1 | परियोजना/स्कीम का नाम | भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा लखनऊ—गोरखपुर रोड, एन0एच0-27 (पुराना एन0एच0-28) के किमी0 नं0-165 (चैनेज सं0-164.848) के मध्य दायी पटरी पर खसरा सं0- 402 ग्राम—बड़हर खुद, तहरील—हर्या, जिला—बरती (उ0प्र0) से मुख्य मार्ग तक आवागमन से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति। |
| (i) | राज्य | उत्तर प्रदेश |
| (ii) | जिला | बरती |
| (iii) | वन प्रभाग | सामाजिक वानिकी वन प्रभाग बरती। |
| (iv) | वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेन में) | 0.20284 हेक्टेन |
| (v) | वन की कानूनों की स्थिति | संरक्षित वन भूमि |
| (vi) | हरियाली का धनत्व | 0.2 |
| (vii) | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिणामना (संलग्न की जाए) | प्रस्तावित पेट्रोल पम्प में कुल 16 वृक्ष बाधक है। |
| (viii) | सिंचाई/जलीय परियोजना के संबंध में एफ0आर0एल0 10 और एफ0आर0एल0-2 मीटर पर परिणामना और एफ0आर0एल0 4 मीटर भी संलग्न किया जाए। | |
| (ix) | भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र का संवेदनशीलता पर सक्षिप्त टिप्पणी | कोई भूक्षरण नहीं होगा। |
| (x) | वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी | प्रस्तावित क्षेत्र मार्ग के किनारे का भाग है। |
| (xi) | क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का व्योरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणी अनुबंधित की जाए) | नहीं |
| (xii) | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विषिष्ट प्रजातिया पायी जाती है यदि हां तो तत्सम्बन्धी व्योरा दें। | नहीं |
| 8 | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के व्योरा के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है। | अपिहार्य एवं न्यूनतम है। |
| 9 | क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हो तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का व्योरा दे क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं। | लागू नहीं |
| 10 | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्योरा | |
| (i) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिधारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। | संलग्न है। |
| (ii) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिधारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। | संलग्न है। |

| | | |
|-------|---|---|
| (iii) | रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। | संलग्न है। |
| (iv) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। | संलग्न है। |
| (v) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिधारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सकाम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (संबंधित उप वन सरकाक द्वारा दस्तावेजित किया जाए) | संलग्न है। |
| 11 | जिला वन सरकाक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम-7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) | संयुक्त स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है। |
| 12 | विभाग / जिला प्रोफेकाइल | |
| (i) | जिले का भौगोलिक क्षेत्र | 2688 वर्ग किमी। |
| (ii) | जिले का वन क्षेत्र | 1979.77 हेक्टेक्टर। |
| (iii) | प्रभाग में मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र | मामलों की संख्या 14 अदद क्षेत्रफल 137.3718 हेक्टेक्टर। आरक्षित व संरक्षित वन भूमि में |
| (iv) | 1980 में प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड वनीकरण सहित वन भूमि (ख) वनेतर भूमि पर | 176.19 हेक्टेक्टर। |
| (v) | प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर | 176.19 हेक्टेक्टर / 193787 पौध आरक्षित व संरक्षित वन भूमि पर |
| 13 | प्रस्ताव का स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन सरकाक की विषेष सिफारिश। | प्रस्ताव को स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है। |

तिथि— 29.09.2022
स्थान—बस्ती।

हस्ताक्षर— प्रभागीय निदेशक
नाम— भास्ती नानिकी वन प्रभाग
बस्ती